(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 48/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्तूबर, 2017.

सा.का.नि. ---- (अ) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रुप में अधिसूचित करती है, अर्थात्

सारणी

क्रमसं.	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
2	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल की पूर्ति
3	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
4	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं. 50/2017–सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की पूर्ति

स्पष्टीकरण :-
इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, --

1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है
3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार